



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2016/ज्येष्ठ 20, 1938

No. 249]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2016/JYAISTHA 20, 1938

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

(तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाँफ के लिए अर्हताएं, वेतनमान, सेवा शर्तों, कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दों/विसंगतियों पर पुनः स्पष्टीकरण)

फा. सं. 27/आरआईएफडी/वेतनमान/01/2013-14-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (i) और (v) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :

I. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता एवं आरंभ :

(क) इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाँफ के लिए अर्हताएं, वेतनमान, सेवा शर्तों, कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण] विनियम, 2016 (प्रथम संसोधन) कहा जाएगा।

(ख) ये उन तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम और विषय-क्षेत्र संचालित कर रहे हैं, जैसेकि परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं।

II. सामान्य

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाँफ के लिए, वेतनमान, सेवा शर्तों, अर्हताओं को विनियमित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाँफ के लिए अर्हताएं, वेतनमान, सेवा शर्तों, कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण] विनियम, 2016 दिनांक 04.01.2016 जारी किया जोकि भारत के राजपत्र में 06.01.2016 को अधिसूचित किया गया था। अभातशिप को अभातशिप विनियम, 2016 (डिग्री/डिप्लोमा) को लागू करने के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग करने वाले विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन मुद्दों/स्पष्टीकरणों के निवारण के लिए तथा सभी पणधारकों को निष्पक्ष अवसर प्रदान करने हेतु उनसे इन मामलों पर प्रतिवेदन मांगे गए जो 15.03.2016 तक अथवा उससे पूर्व ईमेल द्वारा आरआईएफडी ब्यूरो को प्राप्त होने थे। इस संदर्भ में अभातशिप के वेबपोर्टल पर एक नोटिस भी अपलोड किया गया था।

तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाँफ के लिए अर्हताएं, वेतनमान, सेवा शर्तों, कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण

शिक्षकों तथा समकक्ष स्थितियों के कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण नीचे दिये गए हैं :

क्रम संख्या	मामला	अभातशिप की सूचना दिनांक 22.02.2016, की प्रतिक्रिया में प्राप्त अभ्यावेदनों पर भीर्श समिति द्वारा स्पष्टीकरण
1	<p>क्या नीचे विनिर्दिष्ट की गई अर्हता वाला व्यक्ति डिग्री/डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में संकाय के रूप में सीएएस तथा/अथवा नियुक्ति हेतु पात्र है।</p> <p>(क) एमसीए/एम.एस.सी.(गणित/भौतिकी/इलैक्ट्रानिक/कम्प्यूटर विज्ञान तथा संबद्ध विषय) के साथ एमई/एम.टैक/पीएच.डी धारक को कम्प्यूटर विज्ञान, आईटी तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पढ़ाने हेतु।</p> <p>(ख) विज्ञान निष्णात (एम.एससी) (इलैक्ट्रानिक विज्ञान) तथा एम.ई. (ईटी एंड टी) अर्हकता</p> <p>(ग) सीएसई कार्यक्रमों में शिक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान निष्णात (एम.एससी आईटी)।</p>	<p>अभातशिप के 6 जनवरी, 2016 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में क्रम संख्या (1) के (क), (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट मूल अर्हता के साथ संकाय के रूप में नियुक्त विद्यमान पदधारियों के साथ-साथ, वे व्यक्ति जिन्होंने अभातशिप की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 13 मार्च, 2010 के प्रकाशित होने से पूर्व जिन्होंने इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, वे विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए, अन्य पात्रता मानदण्डों तथा निर्धारित उच्चतर अर्हता, यदि कोई हो, को पूरा किए जाने के अध्याधीन सीएएस के साथ-साथ सीधी नियुक्ति हेतु भी पात्र होंगे।</p>
59	<p>(ख) सीएएस के लिए एक सप्ताह प्रत्येक के दो टीईक्यूआईपी कार्यक्रमों में छूट देने पर विचार।</p>	<p>(ख) दो पाठ्यक्रम/प्रत्येक एक-एक सप्ताह की अवधि का, अभातशिप /यूजीसी/मासंविमं/ डीएसटी/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अथवा संचालित कार्यक्रमों को भी टीईक्यूआईपी कार्यक्रमों के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाए।</p>
<p>उपरोक्त क्रम संख्या 1 तथा 59 के लिए दिए गए स्पष्टीकरण भारत के राजपत्र में 7 नं0 दिनांक 06.01.2016 में पहले से अधिसूचित तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए अर्हताएं, वेतनमान, सेवा शर्तों, कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण] विनियम, 2016 में दिए गए स्पष्टीकरणों के अधिकरण में होंगे।</p>		

प्रो. ए. पी. मित्तल, सदस्य सचिव, अभातशिप

[विज्ञापन III/4/असा./162 (130)]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2016

[FURTHER CLARIFICATIONS ON CERTAIN ISSUES/ANOMALIES PERTAINING TO QUALIFICATIONS, PAY SCALES, SERVICE CONDITIONS, CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) etc. FOR TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF OF TECHNICAL INSTITUTIONS (DEGREE/DIPLOMA)]

F. No. 27/RIFD/Pay Scale/01/2013-14.—In exercise of the powers conferred under sub-Section (i) of Section 23 read with Section 10(i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations :

I. Short title, Applications and Commencement :

- (a) These Regulations may be called All India Council for Technical Education (Clarifications on certain issues/anomalies pertaining to Qualifications, Pay Scales, Service Conditions, Career Advancement Schemes (CAS) etc. for Teachers and other Academic Staff of Technical Institutions (Degree/Diploma), 2016 (1st Amendment).
- (b) These shall apply to technical institutions conducting technical education and such other courses/programs and area notified by the Council from time to time.

II. General :

All India Council for Technical Education (AICTE) issued aforesaid Regulations, 2016 on 04.01.2016 which were notified in the Gazette of India on 06.01.2016 to regulate Pay Scales, Service Conditions and Qualifications for the teachers and other academic staff in Technical Institutions (Degree / Diploma). AICTE received several representations from various stakeholders seeking clarifications on certain issues arising out of implementation of AICTE Regulations, 2016 (Degree/ Diploma). To address the issues / clarifications and to give a fair chance to all the stakeholders, representations were invited from them on these issues which were received by RIFD Bureau on or before 15th March, 2016 through E-mail. In this regard, a notice was also uploaded on the web-portal of AICTE.

Clarifications on certain issues/ anomalies pertaining to Qualifications, Pay Scales, Service Conditions, Career Advancement Scheme (CAS) etc. for Teachers and Other Academic Staff of Technical Institutions (Degree/Diploma)

Clarifications on certain issues of teachers and equivalent positions are given below :

Sl. No.	Issue	Clarifications given by the Apex Committee on the representation received subsequently in response to the AICTE notice dated 22.02.2016
1	Whether a person with under mentioned qualifications is eligible for CAS and/or for Appointment as a faculty in Degree and Diploma level Technical Institutions. (a) MCA/M.Sc in Mathematics / Physics / Electronics / Computer Science and allied subjects with M.E./ M.Tech / Ph. D in Computer Science / Information Technology to teach in Computer Science, IT & Engg. Courses. (b) M.Sc. (Electronic Science) and M.E. (ET&T) qualification. (c) Master of Science in Information Technology (M.Sc. IT) to teach in CSE program.	Existing incumbents recruited as a faculty with the basic minimum qualifications mentioned at S. No. 1 (a), (b) and (c) in the official Gazette published on 6 th January, 2016, as well as those persons, who have secured admissions to these courses before publication of the AICTE Gazette dated 13 th March, 2010 are to be considered as eligible for CAS as well as direct recruitment, subject to fulfillment of other eligibility criteria and higher qualifications prescribed, if any, for various teaching posts.
59	Consideration to relax two one week each TEQIP sponsored programs for CAS.	Two courses / programs of one week duration each approved or conducted by AICTE / UGC / MHRD / DST / Central / State Govt. Universities / Institutes may also be considered as alternative to TEQIP programs.

The aforesaid clarifications given for Sl. Nos. 1 & 59 of the All India Council for Technical Education (Clarifications on certain issues/anomalies pertaining to Qualifications, Pay Scales, Service Conditions, Career Advancement Schemes (CAS) etc. for Teachers and other Academic Staff of Technical Institutions (Degree/Diploma), 2016 supersede the earlier clarifications notified in the Gazette of India No. 07 dt. 06.01.2016.

Prof. A. P. MITTAL, Member Secy., AICTE

[ADVT. III/4/Exty./162(130)]